न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2023 **दायर दिनांकः 03/01/2023**

उनवान

1. कुलदीप कुमार आयु 48 वर्ष पुत्र दिलीप कुमार जाति अहीर निवासी मोठपुर
2. योगेन्द्र आयु 44 वर्ष पुत्र दिलीप कुमार जाति अहीर निवासी मोठपुर
3. लाड़ बाई आयु 55 वर्ष पुत्री दिलीप कुमार पत्नि सुरेशचन्द जाति अहीर निवासी मोठपुर हाल मुकाम छेलाबेल तह0 अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

आदेश दिनाक : 20/04/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल मायथा पटवार हल्का भैंसडा तह0 अटरू में खाता संख्या 19 का ख0नं0 503/773 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 505 का रकबा 2.67 है0, ख0नं0 506 का रकबा 5.25 है0 कुल किता 3 का रकबा 8.02 है0 भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2074—77 संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी क्रम 1 व 2 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार हल्का मोठपुर तहसील अटरू में खाता संख्या 80 का ख0नं0 538 का रकबा 12.28 है0 भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबंदी संवत 2073—76 संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ग्राम मायथा में प्रार्थीगण के दादा के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरण दर्ज करते वक्त प्रार्थीगण के

पिता का नाम दिलीप कुमार के बजाय बाबूलाल कर दिया। जबकि रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम दिलीप कुमार दर्ज चला आ रहा है जो उसका वास्तविक नाम है। जमाबंदी में व अन्य दस्तावेज रिकार्ड में अलग–अलग नाम होने से प्रार्थीगण को भूमि का विकास करवाने व अन्य कार्यो में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने दिनांक 20.12.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकार्ड में हो रही त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमि में पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण के पिता का नाम सही नाम दिलीप कुमार दर्ज किया है लेकिन प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में पिता का नाम दिलीप कुमार की बजाय बाबूलाल दर्ज क दिया है जिसे दुरूस्त करवा कर प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम मायथा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम बाबूलाल के स्थान पर दिलीप कुमार दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। विकल्प में प्रार्थीगण के पिता का नाम दिलीप कुमार उर्फ बाबूलाल दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. साक्ष्य प्रार्थी के तहत pw1 योगेन्द्र पुत्र दिलीप कुमार जाति अहीर निवासी मोठपुर का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रार्थी ने सशपथ बयान किये कि मेरे शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल मायथा में खाता संख्या 19 का ख0नं0 503/773 का

रकबा 0.10 है0, ख0नं0 505 का रकबा 2.67 है0, ख0नं0 506 का रकबा 5.25 है0 कुल किता 3 का रकबा 8.02 है0 भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है। इसी प्रकार मेरे शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार हल्का मोठपुर तह0 अटरू में खाता संख्या 80 का ख0नं0 538 का रकबा 12.28 है0 भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ग्राम मायथा में मेरे दादा के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरण दर्ज करते वक्त मेरे पिता का नाम दिलीप कुमार के बजाय बाबूलाल कर दिया जबकि रिकार्ड में मेरे पिता का नाम दिलीप कुमार दर्ज चला आ रहा है जो उनका वास्तविक नाम है। अतः मद नं0 1 में वर्णित भूमि में मेरे पिता का नाम दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी हूँ।

4. अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम एवं माल मायथा पटवार हल्का भैंसडा तह0 अटरू में खाता संख्या 19 का ख0नं0 503/773 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 505 का रकबा 2.67 है0, ख0नं0 506 का रकबा 5.25 है0 कुल किता 3 का रकबा 8.02 है0 प्रार्थीगण के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम फौती नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से दिलीप कुमार के स्थान पर बाबूलाल दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम दिलीप कुमार है जो उसके सभी दस्तावेजों में अंकित है।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान आगे तर्क किया कि प्रार्थीगण के ग्राम मोठपुर में ख0नं0 538 रकबा 12.28 है0 आराजी स्थित है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का सही नाम दिलीप कुमार सही दर्ज चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण अपने पिता का नाम बाबूलाल के स्थान पर सही नाम दिलीप कुमार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

5. अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम मायथा की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 19 का ख0नं0 503/773 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 505 का रकबा 2.67 है0, ख0नं0 506 का रकबा 5.25 है0 कुल किता 3 का रकबा 8.02 है0 आराजी प्रार्थीगण के शामलाती खाते दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम बाबूलाल अंकित है। इसी प्रकार ग्राम मोठपुर की जमाबंदी संवत

2073–76 के खाता संख्या 80 के ख0नं0 538 रकबा 12.28 है0 आराजी भी प्रार्थीगण के शामलाती खाते दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम दिलीप कुमार दर्ज रिकार्ड है।

प्रस्तुत अन्य दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 06.05.2013 के अवलोकन से जाहिर है प्रार्थीगण के पिता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में दिलीप कुमार उर्फ बाबूलाल अहीर पुत्र जगन्नाथ अहीर दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र में दिलीप कुमार पुत्र जगन्नाथ दर्ज है। प्रार्थी क्रम 1 के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 1995 की अंकतालिका में प्रार्थी का नाम योगेन्द्र कुमार पुत्र दिलीप कुमार दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार प्रार्थी क्रम 2 के आधार कार्ड में नाम कुलदीप अहीर पुत्र दिलीप अहीर अंकित है। उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम दिलीप कुमार है। अतः उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम बाबूलाल के स्थान पर दिलीप कुमार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

6. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम मायथा की विवादित आराजी के संबंध में पेश प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मायथा के ख0नं0 503/773 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 505 का रकबा 2.67 है0, ख0नं0 506 का रकबा 5.25 है0 कुल किता 3 का रकबा 8.02 है0 आराजी में खातेदारों के पिता का नाम बाबूलाल के स्थान पर दिलीप कुमार उर्फ बाबूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 20/04/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां